

14-09-2022

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त की ओर से जुर्म इकबाल प्रा० पत्र पेश हुआ। अभियुक्त को अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त द्वारा अर्थ दण्ड जमा किया गया। अर्थदण्ड की धनराशि नियमानुसार राजकोष जमा हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बदायूँ।